न्यायालय तहसीलदार मसूदा, जिला – अजमेर

प्रकरण संख्या 175/2019

राजस्थान सरकार जरिए पटवारी हल्का खरवा – II बनाम श्री सांवरा पुत्र गिरधारी जाति गुर्जर निवासी आखोगा

भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर. एक्ट

–:निर्णय:–

दिनांक 13/8/2019

पत्रावली पेश हुई अप्रार्थी उपस्थित। मैने पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का खरवा – II द्वारा सम्वत् 2076 ग्राम आखोगा की सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 619/304 कुल रकबा 1-13-0 किस्म भूमि चरागाह में से रकबा 1-10-0 बीघा भूमि पर अप्रार्थी श्री सांवरा पुत्र गिरधारी जाति गुर्जर निवासी आखोगा द्वारा नाजायज कब्जा/काश्त कर लिये जाने की भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रकरण भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी का भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर. एक्ट के प्रावधानो के तहत नोटिस दिनांक 13/8/19 को मुकाम **मसूदा** पर उपस्थित होने बाबत् जारी किया गया ।

अप्रार्थी ने नोटिस के जवाब में अपने पक्ष में कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। भूमि नियमन योग्य नहीं है।

मैने पत्रावली का विवेचनात्मक अध्ययन एवं मनन किया। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में कोई ठोस सबूत एवं दस्तावेज पेश नहीं किए एवं अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर अपना अवैध अतिक्रमण होना स्वीकार किया। भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार सिवायचक खाते में दर्ज है। अप्रार्थी बतौर अतिक्रमी उक्त भूमि पर काबिज है।

अतः श्री सांवरा पुत्र गिरधारी जाति गुर्जर निवासी आखोगा को सिवायचक भमि ग्राम आखोगा के खसरा न0 619/304 कुल रकबा 1-13-0 किस्म भूमि चरागाह में से रकबा 1-10-0 भूमि पर किए गए नाजायज कब्जे/काश्त के लिए अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं आदेश दिए जाते है कि अप्रार्थी को उक्त भूमि में से बेदखल किया जावे एवं आर्थिक दण्ड के रूप मे वार्षिक लगान ...... का पचास गुणा 50/– रूपये बतौर शास्ति आरोपित की जावे व मौके पर खडी फसल/ अन्य को जब्त सरकार कर निलाम किया जावे आदेश की पालना में भू–अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का को व डिमाण्ड कायमी हेतू तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। पत्रावली बाद कार्यवाही फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13/8/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया एवं शामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Singh Lakhawat
Date: 2022.12.22 16:39:19 IST
Reason: SelfAttested

(प्रभारी अधिकारी)
तहसीलदार मसूदा
जिला अजमेर

वर्ष 2019-20 के रा.ले. 4 रजिस्टर के पृष्ठ सं. 63 पर रु. 50 की मांग कायम की गई।

त.रा.ले. लेखाकार
14/8/19